**न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीष,द्वितीय्,सह विषेष न्यायाधीष,उत्पाद,समस्तीपुर।**

**रोसड़ा थाना काण्ड सं0 313/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 1188/19**

1610.19 आवेदक 1. रामाषंकर प्रसाद एवं 2. अनिल कुमार राउत, जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 313/19, धारा–272, 273, 290 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्धए 37;बद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 3.10.19 से काराधीन है, की ओर से अलग–अलग दो सेट में पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मोतीलाल राय एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र दुष्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसके पास से कोई षराब बरामद नही किया गया है और न ही उसने किसी प्रकार के षराब का सेवन ही किया है। तथाकथित बरामद षराब से उसका कोई संबंध नही है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दिनांक 3.10.19 से काराधीन है। आवेदक अनिल कुमार राउत की ओर से कथन किया गया है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरूद्व धारा–272, 273, 290 भा0द0वि0 एवं धारा–30;द्धए 37;बद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को घटनास्थल पर षराब पिये अवस्था में गिरफ्तार किया गया है जिसका ब्रेथ एनालाईजर से जॉच करने पर अभियुक्त रामाषंकर प्रसाद का बी0ए0सी0 178एम0जी0/100एम0एल0 एवं अभियुक्त अनिल कुमार राउत का बी0ए0सी0 143एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। प्राथमिकी के अनुसार प्रस्तुत वाद में जप्त कुल चार लीटर देषी महुआष्षराब राहुल राम के घर से बरामद किया गया है। आवेदकगण के विरूद्व मात्र षराब पीने का आरोप है। आवेदकगण दि0 3.10.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राषि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेष दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेष दिया जाता है, कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्तगण के माता/पिता अथवा निकट संबंधी होगा तथा आवेदककगण इस आषय का वचन–पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निष्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद